

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)()डीएलबी/19/16300

दिनांक: 21-10-2020

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री रईस खान पठान, एडवोकेट (रजिस्ट्रेशन नं. आर/1008/2009) को विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 4690 दिनांक 20.03.20 द्वारा नगरपालिका बेंगू एवं आदेश क्रमांक 8082 दिनांक 25.06.2020 द्वारा नगरपालिका रावतभाटा के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया गया था।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री रईस खान पठान, पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार को नगरपालिका बेंगू एवं रावतभाटा से तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/19/16301-16312

दिनांक: 21-10-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका बेंगू एवं रावतभाटा।
06. श्री रईस खान पठान, मार्फत नगरपालिका बेंगू एवं रावतभाटा।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी